तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
31-12-20	पत्रावली पेश हुई-अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य ... तशरीफ रखते है। अन्य कार्य ... । अभिभाषकगण ... अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 17-3-2021 को पेश हों।
17-3-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर है ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे पे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त~~ है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-4-21 को पेश हों।
7-4-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी सरकार पेशकार उपस्थित जवाब सरकार पेश किया साक्ष्य दस्तावेज पेश किये बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

वाद सं0 78/दावा/2020

दायरा दिनाकं 14.10.2020

पीठासीन अधिकारी

श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

शान्ति आयु 80 वर्ष पुत्री किशना पत्नी दौलतराम जाति तम्बोली निवासी अम्बेनाथ जी की गली खजाने वालो का रास्ता चान्दपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर (राज0)

——वादीनी

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

——प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टिनेन्सी एक्ट व धारा 136 भू – राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 07.04.2021

वादी ने अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टिनेन्सी एक्ट व धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 914 रकबा 0.10 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। वादिनी के पिता का नाम किशना एवं माता का नाम गणेशी बाई थे। वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहवन से शान्ति पत्नी किशना दर्ज कर दिया जबकि शान्ति बाई मृतक किशना की पुत्री है। वादीनी ने वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित शान्ति पत्नी किशना के स्थान पर शान्ति पुत्री किशना दर्ज कराने बाबत अनेक बार प्रतिवादी से मौखिक रूप से सम्पर्क कर निवेदन कर चुकी है। लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया। वादीनी ने अन्तिम बार अक्टुबर 2020 के प्रथम सप्ताह में राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीनी से कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नही किया जा सकता है। यही वाद-कारण है जो वर्तमान रूप से पैदा हो रहा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में शान्ति पत्नी किशना के स्थान पर शान्ति पुत्री किशना दर्ज नही होने के कारण वादीनी कृषि विकास कार्य हेतु ऋण लेने व सरकारी सहायता व अनुदान राशि प्राप्त करने में पूर्णतया असमर्थ हो रही है। जिसके कारण वादीनी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी के विरूद्व न्यायालय में वाद पेश कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है। जबकि प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने से मना करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है वादीनी 80 वर्षीय वृद्व महिला है और अन्त में निवेदन किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी शान्ति पत्नी किशना के स्थान पर शान्ति पुत्री किशना के नाम का इन्द्राज उसके जीवनकाल में दूरूस्त नही किया गया तो मरणोपरान्त उसके वारिसान को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा। अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाया जावे।

वादीनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादीनी शान्ति बाई किशना की पुत्री का नाम है मृतक किशना की पत्नी का नाम गणेशी बाई है। वादीनी लगभग 45 वर्षो से नाता प्रथा विवाह उपरान्त जयपुर में निवास कर रही है। वादीनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2073 भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रतिया पेश की है।

वादीनी के अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई वादीनी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादीनी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा संहवन से राजस्व रिकार्ड में किशना की पुत्री के स्थान पर पत्नी दर्ज कर दिया गया जो सही किया जाना आवश्यक है। सरकार पैरोकार ने बहस में वादीनी का किशना की पुत्री होना स्वीकार किया गया है

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादीनी का राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, व जवाब सरकार से स्पष्ट है कि वादीनी शान्ति किशना की पत्नी न होकर पुत्री थी। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:36:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 554 खसरा नं. 914 रकबा 0.010 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम शान्ति बेवा किशना कौम तम्बोली को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर शान्ति पुत्री किशना कौम तम्बोली दर्ज किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें तथा वाद विषयक आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी...............................
व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)............................. मुकाम.........................लाखेरी.............................

1.शान्ति बाई पुत्री किशना पत्नी दौलतराम जाति तम्बोली निवासी अम्बेनाथ जी की गली खजाने वालो का रास्ता जयपुर (वादी)	बनाम	1 राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (प्रतिवादी).

दावा बाबत 88,89, आर0 टी0 एक्ट एक्ट 136 एल आर एक्ट..................

मुकदमा नम्बर.....................................78 / दावा / 2020.................................सन..
...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........हमरे...व हाजिरी
.....श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..................पैरोकार सरकार...........................
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2072–2073 खाता संख्या 554 खसरा नं. 914 रकबा 0.010 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम शान्ति बेवा किशना कौम तम्बोली को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर शान्ति पुत्री किशना कौम तम्बोली दर्ज किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें तथा वाद विषयक आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ....

निज..मुबलिग...बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......07......माह.. ..04... सन... 2021.......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.ख[illegible]न		
5.खर्चा गवाहॉन			5.[illegible] कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत [illegible] हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner